

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड मध्यप्रदेश
पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1463/2013
संस्थापित दिनांक 02.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. उम्मेद पुत्र श्यामलाल कुशवाह उम्र—40साल
2. पातीराम पुत्र श्यामलाल कुशवाह उम्र—50साल
3. श्रीराम पुत्र पातीराम कुशवाह उम्र—30साल
समस्त व्यवसाय खेती निवासीगण ग्राम हवीपुरा
थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 17/11/14 को घोषित किया)

1. आरोपीगण पर भारतीय दंड विधान की धारा 294, 324/34 तथा 506 भाग-2 के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 04/11/13 के 12:30 बजे ग्राम हवीरपुरा में फरियादी के मकान के पास फरियादिया मीना को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया व सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादिया मीना को धारदार हथियारसे मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी व आरोपीगण का आपस में राजीनामा हो गया है।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 4/11/13 के 13:30 बजे फरियादिया मीना ने मय अपने पति भीकाराम के साथ पुलिस थाना गोहद पर उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि दिनांक 4/11/13 की बात है वह अपने मकान के पास वाले खेत

परगई तो देखा कि उम्मेद उसके खेत को जोत रहा था साथझ में उम्मेद का भाई पातीराम था उसने उम्मेद से कहा कि आपने उसका खेत क्यों जोत लिया है तो पातीराम बोला कि तेर बाप का खेत नहीं है इसलिये मैंने जोत लिया है उसने कहाकि खेत उसके ससुर के नाम का है इतने में पातीराम हाथ में कुल्हाड़ी लिये थो बोला कि मादर चोद की बताता हँ आर उसने एक कुल्हाड़ी मारी जो सिर में बाये तरफ लगी खून निकल आया । उम्मेद ने एक लाठी मारी जो उसके कमर में लगी मूंदी चोट आई तब तक पातीराम का लडका श्रीराम आ गया उसने एक लात मारी । वह चिल्लाई तो उसका पति भीकाराम व देवर ब्रजेश दौडकर आये उन्होंने उसे बचाया फिर उम्मेद पातीराम व श्रीराम गाली गलोज करने गये बोले आज तो बच गया आईन्दा जान से खत्म कर देगे ।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद [अप0क0205/13](#) पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है और राजीनामा के आलोक में आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 294,506बी के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा [324/34](#) समन योग्य न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।

6. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैकि:-

क्या आरोपीगण ने फरियादिया ने धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

7. श्रीमती मीना आ0सा01 का कहना हेकि करीब एक साल पहले दोपहर का समय था आरोपीगण ने उनका खेत जोत लिया है जब उसने कहाकि खेत मेरे ससुर के नाम से है तो पातीराम ने उसे मादरचोद बहनचादे की गालियों दी और लाठी से मारा था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराया था तथा पूछताछ कर उसके कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी के द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण द्वारा उसे धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुचाकर उपहति कारित की थी।

8. प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा

किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं। जिससे घटित घटना प्रमाणित नहीं होती है।

9. प्रकरण में मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था प्रथम सूचना अनुसार आरोपी पातीराम ने मीना को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की थी। जिसका समर्थन मेडीकल रिपोर्ट से भी होता है लेकिन फरियादी मीना आ0सा01 ने न्यायालीन कथन में धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने की घटना से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी के कथनों से भा0द0वि0की [धारा324/34](#) के अपराध होने की पुष्टि नहीं होती है

10. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित भा0द0वि0की [धारा324/34](#) के पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराध में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपीगण को भा0द0वि0की [धारा 324/34](#) के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

11. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

12. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील/याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपीगण को आहूत करता है इस संबंध में आरोपीगण की ओर से 10-10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड मध्यप्रदेश
पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 286 / 2010
संस्थापित दिनांक 10.06.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. नाथूराम पुत्र किलेदार सिसोदिया उम्र—30साल
2. किलेदार पुत्र शंकर सिंह सिसोदिया उम्र65साल
3. श्रीमती गिरीशा पत्नि नाथूराम सिसोदिया उम्र—
25साल निवासीगण ग्राम आलौरी जिला भिण्ड
म0प्र0

..... अभियुक्तगण

— निर्णय —

(आज दिनांक को घोषित किया)

1. आरोपीगण पर भारतीय दंड विधान की धारा 323, 324/34 के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 03/06/10 के 10:00 बजे ग्राम आलौरी में सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत उषा को लात घूसों से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की व फरियादी लाखन को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी /आहत व आरोपीगण का आपस में राजीनामा हो गया है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 3/6/10 के 10:40 बजे फरियादी ने हम अपनी माँ उषा के साथ पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशयक की जुवानी रिपोर्ट की कि नाथूराम की भैस बार-बार खूंटो से छूट जाती थी उसने कहा कि भैस को

अच्छी तरह से बांध दो नाथूराम बोला कि भैस को इसी तरह से रहेगी इसी बात पर से नाथूराम ने लोहे लगी लाठी मारी जो उसके सिर के उपर दाहिने तरफ दो चोटें आई व एक चोट सिर में पीछे की ओर आई खून निकल आया उसकी माँ उषा उसे बचाने आई तो गिरीसा पत्नि नाथूराम व किलेदार पुत्र शंकर सिंह सिसोदिया ने उसकी माँ की लात घूसों से मारपीट कर दी तथा किलेदार ने एक लाठी उसकी माँ के मारी दाहिने पैर के पंजा में लगी चोट होकर सूजन है मौके पर रामवीर, कल्याण थे जिन्होंने बीच बचाव किया ।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा मार्ग क्रमांक 146/10 दर्ज किया गया जांच उपरान्त पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0112/10 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

5. प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है और राजीनामा के आलोक में आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 323 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा 324/34 समन योग्य न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा ।

6. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

क्या आरोपीगण ने फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

सकारण निष्कर्ष

7. लाखनआ0सा01 के द्वारा प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है । इस साक्षी का कहनाहैकि करीब 04 साल पहले की बात होगी नाथूराम की भैस बार-बार खूटा से छूट जाती थी उसने कहा था कि भैस को बाध लो इसी बात पर मुहवाद हो गया और उसकी माँ उषा से भी इसी बात पर मुहवाद हो गया था। उसकी किसी ने लाठी लुहागी से मारपीट नहीं की इसकी रिपोर्ट उसने थाने पर लेखबद्ध कराई जो प्र0पी01 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी द्वारा धारदार अथवा घातक हथियार से चोट पहुचाई जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्नपूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने लोहे की किसी धारदार वस्तु से सिर मे चोट पहुचाकर उपहति कारित की थी

8. श्रीमती उषा आ0सा02 का कहनाहैकि करीब 04 साल पहले की बात होगी उसके लडके लाखन ने नाथूराम से कहाथाकि भैस बाध लो इसी बात पर आरोपीगण से लाखन का मुहवाद हो गया था। वह बचाने गई तो उसका भी आरोपीगण से मुहवाद हो गया था साक्षी के द्वारा मारपीट की घटना का समर्थन नकिये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने उसकी तथा लाखन की लुहांगी लाठी से मारपीट की थी।

9. प्रकरण मे फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता हैकि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिया है इसलिये घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित नहीं होती है।

10. अभियोजन मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन साक्षियों पर था लेकिन प्रकरण में फरियादी एवं आहत के द्वारा ही इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने सामान्य आशय से प्रेरित होकर लुहागी लाठी से चोट पहुचाकर उपहति कारित की है। साक्षी के कथनो से घातक हथियार लुहांगी लाठी से चोट पहुचाये जाने की घटना पूर्णतः अप्रमाणित है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

11. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित भा0द0वि0की

धारा 324/34 के पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराध में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 324/34 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

12. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

13. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील/याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपीगण को आहूत करता है इस संबंध में आरोपीगण की ओर से 10-10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला

भिण्ड मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 630 / 2005

संस्थापित दिनांक 22.2.2005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. राधाकृष्ण पुत्र राम जाटव उम्र—25साल
2. रविन्द्र पुत्र मंगलप्रसाद जाटव उम्र—35साल
समस्त व्यवसाय मजदूरी निवीगण पुराना
घनश्यामपुरा पुलिस थाना गोहद जिलाभिण्ड
3. करन सिंहदिनांक 26.4.13 को फरार
..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक को घोषित किया)

1. आरोपी पर भा0द0वि0की धारा 341,294, तथा 354/34 के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 26/4/05 के दिन के 14:30 बजे फरियादिया के मकान के पास फरियादिया को एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया व फरियादिया को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादिया कविता की लज्जा भंग करने के आशय से उव पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान आरोपी

करन सिंह को दिनांक 26/4/13 को फरार घोषित किया जा चुका है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26/4/05 के 14:30 बजे फरियादिया कविता ने मय अपने चचेरे भाई तथा परिवार के आत्मदास जाटव के साथ पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि दिनांक 26/4/05 के करीब ढाई बजे दिन के अपने घर से शौच करने हेतु निकली थी शौच हेतु जा रही थी तभी बीच में करन सिंह ने हाथ पकड़ कर रोककर बुरी नियत से अपनी ओर खींच लिया और और गले में हाथ डालकर उसकी छाती पकड़ ली चिल्लाने तो राधाकिशन जाटव राजेन्द्र उसे माँ बहन की गालियाँ देने लगे। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कमलेश जाटव और अभिलाख जाटव गोहद के आ गये उन्हें आते देखकर आरोपीगण भाग गये।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा [अप0क0103/05](#) पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0की धारा 341, 294, तथा 354/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपीगण को सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।

6. प्रकरण में आरोपीगण को द0प्र0स0 की धारा 313 के तहत परीक्षा प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर आरोपी का कहना है वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

7. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:—

1. क्या आरोपीगण ने फरियादिया को एकनिश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया?
2. क्या आरोपीगण ने फरियादिया को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया?
3. क्या आरोपीगण ने फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में

कमलेश जाटव आ0सा01, अभिलाख आ0सा02, आत्माराम आ0सा03 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

9. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु समस्त विचारणीय बिन्दुओं की विवेचना एक साथ की जा रही है जिसके संबंध में

10. कमलेश जाटव आ0सा01 यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है साक्षी ने घटित घटना से अनभिज्ञता जाहिर की है साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया है। साक्षी के कथनों से घटित घटना लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं होती है।

11. अभिलाख आ0सा02, आत्माराम आ0सा03 यह साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है साक्षियों द्वारा घटित घटना से अनभिज्ञता जाहिर की है इसलिये साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया है। साक्षियों के कथनों से अभियोजन घटनाक्रम का लेसमात्र भी समर्थन नहीं होता है।

12. प्रकरण में कु0कविता द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है कविता का सही पता ज्ञात न होने के कारण साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया जा सका है घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों ने घटित घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। फरियादी का पता ज्ञात न होने के कारण वह अनु0 है न्यायालय में परीक्षित साक्षियों के कथनों से घटना प्रमाणित नहीं होती है।

13. प्रकरण में न्यायालीन अभिलेख पवर आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटनाक्रम पूर्णतः अप्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 341, 294, 354 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

14. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील/याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपीगण को आहूत करता है इस संबंध में आरोपीगण की ओर से 10-10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिये जावे।

16. प्रकरण में आरोपी करन सिंह फरार है अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर इस आशय की टीप अंकित की जाये कि प्रकरण में आरोपी करन सिंह फरार है। अतः अभिलेख नष्ट न किया जाये बल्कि सुरक्षित अवस्था में रखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला

भिण्ड मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 62/2006

संस्थापित दिनांक 04.02.2006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. शांती पत्नि सीताराम खटीक उम्र—85साल
2. मोतीराम पुत्र सीताराम खटीक उम्र—45साल
समस्त व्यवसाय मजदूरी निवासीगण खटीक
मौहल्ला गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
3. सावित्रीदिनांक 16/7/09 को मृत
..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक को घोषित किया)

1. आरोपी पर भा0द0वि0की धारा 353 के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 26/11/2005 वार्ड क04 खटीक मौहल्ला कस्बा गोहद में जब गोहद न्यायालय में सेल अमीन प्रमोद कुमार उपाध्याय के न्यायालय के आदेश के पालन में दखल वारंट की तामील हेतु पहुंचे तो आरोपीगण ने उनको आत्महत्या करने की धमकी देते हुये कब्जा वारंट का निष्पादन नहीं

होने दिया और शासकीय कार्य में बाधा डाली।

2. प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपिया सावित्रीकी मृत्यु हो चुकी है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रमाद कुमार उपाध्याय ने पुलिस थाना गोहद को एक लेखीय आवेदन मय इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद के न्यायालय से जारी आदेश क्रमांक 274 दिनांक 25/10/05 कब्जा वारंट एवं प्रकरण क्रमांक 9/88बाई 2004 इजरा के निर्वहन हेतु आदेशिका वाहन श्री शिवप्रकाश शर्मा के साथ वार्ड क04 गाहद मौके पर विवादित जगह पर मदयून मोतीराम पुत्र सीताराम शांतीबाई विधवा पत्नि सीताराम सावित्रीबाई पतिन बलवंत जाति खटीक निवासी खटीक मौहल्ला गोहद में कब्जा वारंट को मदयून डिक्रीदारी को सुनाय तो शांतीबाई पत्नि सीताराम ने अपने घर से एक धारिया लोहा का लेकर कहाकि हम कब्जा नहीं देगे यदि आप लोगो ने खाली जगह को छुआ तो हम आत्म हत्या कर लेगे एवं झगडा पर उतारू हो गये इस कारण कब्जा वारंट का निर्वह नही हो सका एवं शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा हुआ तथा शांतीबाई ने आत्महत्या कर हाथ मे छूरी लेकर धमकी दी उस समय उसके साथ आदेशिका वाहन शिवप्रकाश शर्मा एवं डिक्रीदार पुरुषोत्तम शर्मा मौहल्ले के सूरजप्रसाद पुत्र मंगलप्रसाद खिडकी मौहल्ला एवं मुरारी गौड पुत्र वीरपाल अर्जुन कालौनी संजय पुत्र प्रेमनारायण मार्य गोहद के उप0 थे।

4. फरियादी की लेखीय रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा जांच उपरांत द्वारा अप0क0321/05 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0की धारा 353 केअंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपीगण को सुनाये व समझाये गये तो उन्होने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।

6. प्रकरण में आरोपीगण को द0प्र0स0 की धारा 313 के तहत परीक्षा प्रतिरक्षा मे प्रवेश कराये जाने पर आरोपी का कहना है वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

7. प्रकरण में प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपीगण कब्जा वारंट का निर्वहन कर आत्महत्या की धमकी देकर व झगडा पर उतारू होकर शासकीयकार्य

में बाधा उत्पन्न की?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्रमोद उपाध्याय आ0सा01, मुरारी गौड़ आ0स02, देवेन्द्र सिंह आ0सा03 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

9. प्रकरण में प्रमोद कुमार उपाध्याय आसा01 के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है इस साक्षी का कहना है कि सन 2005 में गोहद न्यायालय में सेल अमीन के पद पर पदस्थ था न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के आदेश क्रमांक 274 दिनांक 25/10/05 के निर्वाहन हेतु प्रकरण क्रमांक 9/88बाई4 इजरा में कब्जा वारंट के निर्वाहन हेतु शिवप्रकाश शर्मा आदेशिका वाहन के साथ वार्ड नं04 गोहद में गया था मौके पर मदन मोतीराम पुत्र सीताराम और शांतीबाई विधवा पत्नि सीताराम, सावित्री पत्नि बलवंत निवासी खटीक मोहल्ला गोहद में पहुँचे वहाँ पर जाकर कब्जा वारंट मदन को सुनाया तो शांतीबाई ने घर से लोहे का एक धारिया लेकर कहा कि खाली जगह छूआ तो आत्महत्या कर लूँगी और झगडा करने पर उतारूँ हो गई। इस कारण कब्जा वारंट का निर्वाहन नहीं हो सका और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और शांतीबाई ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी उस के साथ शिवप्रकाश शर्मा आदेशिका वाहक डिकीदार पुरुषोत्तम और मौहल्ले के सूरत, मुरारी, संजय उपस्थित थे उसने तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सोनकर साहब द्वारा अग्रिष्ठित आवेदन गोहद को दिया जो प्र0पी01 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि शांतीबाई के हाथ में छूरी थी अथवा धारिया था वह नहीं बता सकता साक्षी ने अपने प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि आरोपीगण उसे किस प्रकार भयापरित कारित किया है क्या उस पर हमला किया गया या क्या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया ऐसा साक्षी के द्वारा अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया है इसलिये इस साक्षी के कथनों से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की अवधारणा नहीं की जा सकती।

11. मुरारी गौड़ आ0सा02 यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है साक्षी ने घटित घटना से अनभिज्ञता जाहिर की है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया है साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ नहीं पहुँचता है।

12. देवेन्द्र सिंह आ0सा03 का कहना है कि दिनांक 5/12/05

को थानागोहद में प्र०आर०के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को उसने प्रमोद उपाध्याय की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र०पी०३ का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के क्रम में साक्षी सूरजप्रसाद, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, मुरारी गौड़ के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 28/12/05 को सावित्री शातीबाई, मोतीराम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। परीक्षण प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी के कथनों में इस प्रकार की कोई सारगर्भित भिन्नता नहीं पाई गई जिससे की साक्षी के कथनों से कार्य का अनुसंधान प्रदूषित कहा जा सके। साक्षी के कथनों से उसके द्वारा किये गये अनुसंधान का समर्थन होता है लेकिन इस साक्षी के कथनों से प्रकरण के किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।

13. प्रकरण में प्रमोद कुमार आ०सा०१ के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है शेष घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। साक्षी ने अपने कथनों में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया है कि उसे किन तथ्यों से आरोपीगण ने भयोपरित किया था साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट है न तो उस पर हमला हुआ और न ही आपराधिक बल का प्रयोग कारित किया गया। ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार से भयोपरित हो गया और उसके शासकीय कार्य में बाधा किस प्रकार उत्पन्न हुई यह साक्षी को अपने कथनों से स्पष्ट करना चाहिये था लेकिन ऐसा साक्षी के कथनों से स्पष्ट नहीं है इसलिये घटित अपराध पूर्णतः संदेहजनक हो जाता है।

14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटनाक्रम पूर्णतः संदेहजनक पाया गया अतः आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन से उन्मोचित किये जाते हैं।

15. प्रकरण में धारा 428 द०प्र०स० के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

16. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

17. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील/याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपीगण को आहूत करता है इस संबंध में आरोपीगण की ओर से 10-10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया